International Journal of Education and Science Research Review
E-ISSN 2348-6457
Volume-2, Issue-1 February- 2015 P-ISSN 2348-1817
www.ijesrr.org Email- editor@ijesrr.org

शैक्षिक संस्थाओं में न्यून उपस्थिति का विश्लेषण

श्रीमती माधुरी मिश्रा
अनुसंधानकर्त्री
श्री जगदीश प्रसाद झाबरमल टिबरेवाला विश्वविद्यालय
झुंझुनू राजस्थान

डॉ. श्याम सुन्दर कौशिक
शोध निदेशक
पूर्व प्रभागाध्यक्ष
सेवा पूर्व शिक्षक प्रशिक्षण
जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, चूरू (राज)

सार संक्षेप (Summary)
संस्थान में नियमित उपस्थित होकर अध्ययन करना नियमित छात्र की अवधारणा का मुख्य तत्व है। अतः प्राथमिक से विश्वविधालय स्तर की शिक्षा व्यवस्था में नियमित छात्रों द्वारा कक्षाओं में किया गया अध्ययन, संस्थान में सत्र के कुल कार्य दिवस का प्रतिशत निश्चित होना चाहिए। इसे पूरा नहीं करने वाले छात्र को परीक्षा से वंचित किया जाना चाहिए, परन्तु अधिकतर शिक्षण संस्थाओं द्वारा इस प्रावधान का पालन नहीं किया जाना एक परम्परा बन गई है। इसका भविष्योन्मुखी प्रभाव सम्बन्धित वर्गों पर पड़ रहा है। यह प्रभाव प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष हो सकता है। समस्या के उत्तरदायी कारणों को सूचीबद्ध करना चाहिए क्योंकि मात्र विद्यार्थी अकेला दोषी नहीं है। शिक्षण संस्थाएं इस सम्बन्ध में व्यापक अधिकार युक्त हैं। न्यायिक निर्णयों ने इसे उचित व तर्क संगत माना है। समस्या का प्रभावी समाधान एक पक्षीय नहीं है बल्कि इससे सम्बन्धित सभी पक्षों का उत्तरदायित्व है, जिसका उन्हें वहन करना चाहिए। देश के संस्थानों का अधिकतम सह उपयोग हो इसके लिए समस्या पर गहन चिन्तन व कार्य की आवश्यकता है।

पृष्ठभूमि (Introduction)
भारत का भाग्य उसकी कक्षाओं में है। (ऐतिहासिक कोठारी आयोग 1964–66) तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि ''भारत का भविष्य निर्माण विद्यालयी कक्षा–कक्षाओं में हो रहा है'' अर्थात् भारत के भाग्य का सम्बन्ध कक्षाओं से है। कक्षा–कक्षों का सम्बन्ध मात्र शिक्षक व विद्यार्थी तक नहीं है, बल्कि इसमें वे सभी संस्थाएं सम्मिलित हैं जो प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से शिक्षा की आयोजना, प्रशासन एवं प्रबन्धन हेतु स्थापित किये गये हैं। अतः स्पष्ट है कि शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक–शिक्षार्थी के अतिरिक्त तृतीय घटक संस्थाएं व संगठन है। इस तृतीय घटक का कार्य परिस्थितियां उत्पन्न करना है जिससे शिक्षक–छात्र के मध्य सक्रिय – सार्थक व अर्थपूर्ण अन्तःक्रिया उत्पन्न हों। अतः स्पष्ट है कि शिक्षक लक्ष्यों की प्राप्ति में परिणामात्मकता व गुणात्मकता हो इसके लिए इस तृतीय घटक की आवश्यकता है। शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक स्तर पर परिवर्तन एवं विकास हुआ है परन्तु अब भी ऐसे क्षेत्र हैं जहां परिवर्तन व विकास की आवश्यकता है। इसमें शिक्षण संस्थाओं की महत्वपूर्ण समस्या शिक्षार्थियों की नियमित उपस्थिति मे कमी आना है।

समस्या (Problem)
शिक्षा के विभिन्न स्तरों प्राथमिक से विश्वविद्यालय स्तर तक प्रायः नियमित छात्रों से विधितः यह अपेक्षा की जाती है कि व पूरे सत्र में सम्पादित शिक्षण व सह शिक्षण कार्य का एक निर्धारित प्रतिशत अवश्य पूरा करें इसकी विपरित स्थिति मे परीक्षाओं से उन्हें वंचित किया जायेगा। इसकी जानकारी परीक्षार्थियों को प्रवेश के समय दे दी जाती है। उच्च शिक्षा में इसकी छूट एक सीमा में ही प्रदत की जाती है। नियमित छात्र की अवधारणा का केन्द्रीय बिन्दु यह अपेक्षा करता है कि सम्बन्धित छात्र निर्धारित पाठ्यक्रम नियमित रूप से शिक्षण संस्थान में उपस्थित होकर, अध्ययन करें। यधपि नियमित छात्र के सर्वांगीण विकास के लिए समुचित अवसर उपलब्ध करवाना नियमित शिक्षण व्यवस्था का लक्ष्य है अतः पाठ्योतर कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाता है। संक्षेप में एक समग्र, सन्तुलित, सक्षम एवं प्रभावशाली व्यक्तित्व निर्माण के लिए सुविधा उपलब्ध करवाना इस व्यवस्था का मुख्य लक्ष्य है। शिक्षण संस्था द्वारा सुयोग्य शिक्षकों, उतम शिक्षण व्यवस्था एवं शिक्षणेतर व्यवस्था उपलब्ध करवाना दायित्व के अधीन आता है।

नियमित छात्रों द्वारा निर्धारित संख्या में शिक्षण व शिक्षणेतर कार्यो में संभागित्व करने की आदेशात्मक व्यवस्था

के पीछे उनके स्तरोन्नयन की अवधारणा के अधीन है अतः यह केन्द्रीय सरकार की विधायिका से सम्बन्धित है इस कारण उपस्थिति के विनियमनो में विश्वविद्यालयों अनुदान आयोग, बार कौंसिल ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय शिक्षक–शिक्षा परिषद् आदि संस्थाएं व्यापक स्तर पर अधिकार युक्त है लेकिन नियमित उपस्थिती के पीछे निर्धारित लक्ष्यों, पवित्र घोषणाओं, आदेशात्मक प्रावधानों के पश्चात भी बड़ी संख्या में संस्थाएं उपस्थिति विषयक नियमों में परिपालन सुनिश्चत नहीं कर रही है।

संस्थाओं में उपस्थिति नियमित रूप से सही सही नही अकिंत की जा सकती है अतः इन्हे संरक्षित रखने का प्रावधान नही है। इन स्थितियों में समय समय पर संरक्षक/ अभिभावक को सूचना दी जाती है। परीक्षा आवेदन अग्रेषण कर्ता परीक्षार्थी की बिना उपस्थिति अवलोकन यह प्रमाणित करता है कि छात्र ने निर्धारित उपस्थिति एवं अपेक्षित कार्य पूर्ण कर लिया है। इसके आधार पर प्रार्थी को परीक्षा प्रवेश पत्र जारी हो जाता है। अतः नियमित छात्र का उपस्थिति व परीक्षा से सम्बन्ध नहीं है। न्यायालय आदेशों के अधीन परीक्षा से एक–दो रोज पूर्व परीक्षा आवेदन की अपेक्षित कार्य निष्पादन कर परीक्षार्थियों को परीक्षा देने हेतु पात्र माना जाता है। विधि, विज्ञान एवं शिक्षा संकाय में नियमित अध्ययन की ही सुविधा है परन्तु यह सब कागजी कार्यवाही है इसका सबसे अधिक उल्लंघन विधि विभाग में ही होता है।

कारण (Causè)

स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् भारत में शिक्षा की सुविधाओं का अभूतपूर्व विस्तार हुआ है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा के विस्तार की दृष्टि से विश्व में भारत द्वितीय स्थान रखता है। विस्तार के इस क्रम में गुणवता को बनाये रखने, उसे बढ़ाने के लिए आवश्यक संशाधनों का विस्तार समान रूप से नही हुआ है। ग्रामीण व पिछड़े क्षेत्र में यह समस्या अत्यधिक है। शिक्षण संस्थाओं में प्रविष्ट होने वाले छात्रों की संख्या में भी अत्यधिक वृद्धि हुई है। इसके कारण ऐसे छात्र प्रविष्ट हो गये हैं जिनका पठन पाठन से कोई सम्बन्ध नहीं है। दूरस्थ शिक्षा की सुविधाओं के पश्चात् भी नियमित अध्ययन महत्वपूर्ण माना गया है क्योंकि नियमित अध्ययन के समय छात्र को कई सुविधाएं उपलब्ध होती है यथा पुस्तकालय, खेल, आवास आदि। कभी कभी छात्र एक वैकल्पिक व्यवस्था के लिये प्रवेश लेता है। उसका लक्ष्य प्रतियोगिता परीक्षा है अतः छात्र नियमित उपस्थिति के प्रति सजग नहीं है।

अध्यापन कार्य का स्तर न्यून, शिक्षण की पुरानी नीरस व ऊबाउ तकनीक का प्रयोग भी एक मुख्य कारण है। छात्रों का तर्क है कि घर पर अध्ययन करके नियमित छात्र से अधिक उपलब्धि प्राप्त कर लेंगे। कोचिंग कक्षाओं के विज्ञापन, स्वयं संस्थान के अकादमिक भी कोचिंग के लिए प्रेरित करते हैं इससे नियमित उपस्थिति छात्र की नहीं रहती है।

सामान्यतः शिक्षण संस्थाएं प्रवेश, चुनाव व समय पर परीक्षा आयोजित करवाना अपना मुख्य उद्देश्य समझती है। शिक्षा की गुणात्मकता से सम्बन्धित स्थिति सक्षम नहीं है यदि संसाधन है तो इच्छाशक्ति नहीं है। शिक्षा धीरे धीरे व्यावसायिकता से सम्बन्धित हो रही है।

न्यून उपस्थिति के आधार पर छात्रों को परीक्षा से वंचित करने पर उनमें गम्भीर प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है। इस तरह के छात्र अधिक होने पर आन्दोलन होते हैं, संस्थान का वातावरण दूषित होता है। इसका लाभ पेशेवर, नेता उनके ही संस्थान दबाव व भय पैदा करते हैं। उपस्थिति की न्यूनता का सम्बन्ध प्रबन्धकों व प्रशासकों से भी है। यदि छात्र अधिक उपस्थित होंगे वे संस्थान में आधारभूत सुविधाएं एवं अच्छी शिक्षण व्यवस्था चाहेंगे। ये सब इनके पास नहीं है अतः इनका रुख नरम हो जाता है।

शिक्षा से सम्बन्धित सभी वर्ग शिक्षक, छात्र, प्रशासक, अधिकारी जानते है परन्तु वे किसी न किसी हित से सम्बन्धित है अतः सभी चुप रहते हैं। संचार माध्यम भी प्रवेश, धांधली, नकल, फर्जी डिग्री आदि के समाचार पत्र पत्रिका में प्रसारित करते हैं परन्तु उपस्थिति के सम्बंध में चुप हैं। शिक्षा का सम्बन्ध समाज से है इसके स्तर में कमी आने से समाज किसी न किसी रूप से निश्चित प्रभावित होगा। लेकिन शिक्षा से सम्बन्धित किसी भी व्यक्ति ने जनहित वाद के माध्यम से इसे उठाने का प्रयास नहीं किया है। न्यायालय में इससे सम्बन्धित वाद कम है, ये वाद मात्र उन संस्थाओं से सम्बन्धित है जहां नियमों का सख्ती से पालन होता है।

सार्वजनिक परीक्षाओं में नकल की समस्या विकराल रूप ले चुकी है। इसे कानून के माध्यम से रोकने का प्रयास किया गया है। लेकिन न्यून उपस्थिति के कारण छात्रों को परीक्षा से बाधित करने के लिए किसी ने प्रयास नहीं किये है जबकि इसका सीधा सम्बन्ध नकल प्रवृत्ति प्रोन्नति से है।

सुसंगत विधिक प्रावधान (Significant legal provision)

उपस्थिति विषय से सम्बन्धित नियम उपाधि, डिप्लोमा, प्रमाण पत्र देने तक विस्तारित है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में ऐसी व्यवस्था शिक्षा के स्तर को बनाये रखने के लिए है इस हेतु संस्थाओं से सहयोग की अपेक्षा है अतः विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बार कौंसिल, तकनीकी शिक्षा परिषद्, चिकित्सा शिक्षा परिषद्, शिक्षक शिक्षा परिषद् उपस्थिति से सम्बन्धित नियम बनाती है। इन्हें सभी संस्थाएं मानने के लिऐ बाध्य होती है। उक्त नियमों के उल्लंघन पर सम्बन्धित शिक्षण संस्था के विरुद्ध कार्यवाही होती है।

न्यायिक दृष्टिकोण (Legal attitude)

न्यायालयों ने नियमित व स्वयंपाठी छात्रो के मध्य अन्तर स्पष्ट किया है। उपस्थिति अनिवार्यता को उचित माना है क्योंकि शिक्षक व छात्रों के मध्य अन्तः क्रिया होती है जिससे अधिगम होता है। उसके लिए संस्थाएं उचित वातावरण व स्थिति उपलब्ध करवाती है। शिक्षण प्रक्रिया का लक्ष्य छात्रों में सीखने की इच्छा उत्पन्न करना है इसके लिऐ शिक्षकों का मार्गदर्शन चाहिए और यह केवल नियमित उपस्थिति से ही सम्भव है।

निष्कर्ष एवं सुझाव (Conclusion & suggestion)

स्पष्ट है कि औपचारिक शिक्षा द्वि–ध्रुव प्रक्रिया है। यहां शिक्षक व छात्रों के मध्य अन्तः क्रिया मुख्य होती है। इसके लिये छात्रों को नियमित रूप से उपस्थित होकर अध्ययन करना आदेशात्मक एवं अपरिहार्य आवश्यक है। इसके अभाव में परीक्षा में भाग लेना, उतीर्ण होना, प्रमाण पत्र देने की कार्यवाही विधितः शून्य एवं अस्तित्वहीन होंगी। सामाजिक हितों पर इसका दुष्प्रभाव, दूरगामी होना सुनिश्चित है। उपस्थिति से सम्बन्धित कानूनों की अवहेलना कोठारी आयोग के अनुसार भारत का भाग्य उसकी कक्षाओं में निर्मित हो रहा है के सर्वथा विपरीत है। उपस्थिति व सम्बन्ध में संस्थाओं को पर्याप्त अधिकार है। कुछ महत्त्वपूर्ण संस्थाएं उपस्थिति से सम्बन्धित निर्णयों का पालन कर रही है। इनके अनुभवों से सीखने की आवश्यकता है जिससे शेष संस्थाएं भी स्थिति क्रमशः सुधार ला सकती है।

समस्या व उससे उत्तरदायी कारणों को सूचीकरण करना व इसके विस्तार की जानकारी प्राप्त करना और तत्पश्चात् इसका सरल रेखीय समाधान खोजना आसान नहीं है। परन्तु यदि समस्या के कारणों का उनके घटकों के अनुरूप विश्लेषण व वर्गीकृत करके अपेक्षित उपचारी उपाय खोजना तार्किक व प्रभावी है।

उपस्थिति विषय से सम्बन्धित कानून स्वीकार कर सुसंगत व प्रभावी बनाने के लिए शिक्षक, शिक्षा –प्रशासक व प्रबन्धकों को अपने से सम्बन्धित कार्य समर्पण व सक्रियता से करने चाहिए। देश की जनता अर्थव्यवस्था, छात्र विहीन कक्षाओं का भार शायद अब सहन नहीं कर सकेगी। जब कक्षाएं है ही नही तो शिक्षक, अधिकारी का वेतन, संस्थाओं की मूलभूत आवश्यकताओं पर खर्च का कोई औचित्य ही नहीं है।

अतः शिक्षण की विषय वस्तु भी गुणवता, शिक्षण शैली एवं विधि को अपेक्षा के अनुरूप परिवर्तित करने की आवश्यकता है। सैद्धान्तिक विषय वस्तु के साथ प्रायोगिक विषय वस्तु को पाठ्यक्रम का अंग बनाना आवश्यक है। वर्तमान प्रतिस्पर्द्धा के समय गुणात्मक व मात्रात्मक शिक्षा स्तर के संतुलन की आवश्यकता है। इसके लिए छात्रों की नियमित उपस्थिति आवश्यक है, इस हेतु छात्रों को संस्थान द्वारा प्रेरित किया जाना चाहिए। केवल मात्र कानून के भय से रचनात्मक, सार्थक व स्थायी समाधान नहीं खोजा जा सकता है। जहां मात्र 10 प्रतिशत छात्र नियमित है शेष 90 प्रतिशत को न्यून उपस्थिति के कारण परीक्षा से वंचित किया जा सकता है यह औचित्यपूर्ण नहीं है क्योंकि यह स्थिति संस्थान, प्रशासन एवं प्रबन्धक की विफलता का प्रमाण है। अनेक दृष्टियों से यह आवश्यक है कि उपस्थिति का नियम कड़ाई से लागू किया जाये। गंभीर व अपवाद की स्थिति में छूट मिलनी चाहिए । छात्रों की न्यून उपस्थिति से सम्बन्धित सूचना समय समय पर दी जानी चाहिए जिससे छात्र सजग रहे। तार्किक सीमा तक उपस्थिति में कमी होने पर इसे पूरा करने के लिऐ अतिरिक्त कक्षाओं की व्यवस्था की जानी चाहिए यह सशुल्क भी हो सकती है।

संदर्भ

1. बलदेव राज शर्मा बार कौंसिल आफ इंडिया एआईआर 1989 को 1541
2. एआईआर 1994 सु.को 1334, एआईआर 1989–कर्नाटक 176
3. 1997 ले.ई.के 2996 आन्ध्रप्रदेश पूर्णपीठ
4. 1961–02 क्रिमिनल लॉ जरनल 822 सु.को.
5. मो.याकूब कुलपति, अलीगढ़ विश्वविधालय एआईआर 2002, इलाहाबाद 245, सुरजीत पाणीग्रही बनाम प्राचार्य सिक्किम महाविधालय, एआईआर 2002, सिक्किम 04 शंकर कुमार व अन्य कुलपति एम.डी विश्वविधालय रोहतक एआईआर 2002 एनओसी 272 (पंजाब–हरियाणा)
6. नितिन पन्त व अन्य बनाम वि.वि.दिल्ली एआईआर 2002 एनओसी 199
7. दिल्ली वि.वि. बनाम राजसिंह एआईआर 1995 सु.को. 336
8. आर.शान मुखय व अन्य मद्रास उ.न्या. 1995 ले.ई.के. 2332 (मद्रास)
9. आलेख उपरोक्त निर्णयों को आधार मानते हुये मुख्य विचारधारा को सम्मिलित किया गया है।
10. शिक्षक प्रशिक्षण महाविधालय चूरू, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान चूरू के प्रशिक्षणार्थियों से चर्चा के आधार पर उक्त आलेख तैयार किया गया।